एजेंडा एवं प्रस्ताव पत्र (नमूना)

- यह नमूना पत्र उन सभी संस्थानों के लिए है, जो इंडियन व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा बॉर्ड (नई दिल्ली) से मान्यता के लिए आवेदन करना चाहते हैं। ऐसे सभी संस्थाओं की सुविधा के लिए यह प्रपत्र जारी किया जा रहा है जो आमजन के लिए सुविधाजनक हो तथा जिससे संस्थानों को वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करने में कोई बाधा उत्पन्न न हो, संस्थान सरलता व सुगमता से कानूनी कार्यवाही अमल में लाकर वैधानिक कार्यवाही प्रारम्भ कर सकें।
- नमूना प्रपत्र का उल्लेख निम्नांकित हैं कृपया सावधानी पूर्वक गहन अध्ययन के पश्चात ही कोई भी वैधानिक कार्यवाही अमल मे लाने की कृपा करे। यह नमूना पत्र सिर्फ वैधानिक कार्यवाही को सुगम बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है संस्थान के पदाधिकारी कोई भी कार्यवाही अमल में लाने से पूर्व इस प्रपत्र को पूर्ण रूप से पढ़ ले। तथा स्वस्थ मन व मस्तिष्क से ही किसी भी प्रपत्र पर हस्ताक्षर करें व अपने संस्थान के कानूनी सलाहकार से भी इस संबंध में अवश्य ही सलाह करें।

बैठक सूचना निमंत्रण पत्र (नमूना)

एजेंडा महोदय, दिनांकः– को प्रातः बजे सोसाइटी/ट्रस्ट/फर्म के सभी पदाधिकारीयों की आवश्यक बैठक सोसाइटी/ट्रस्ट/फर्म के कार्यालय मे बुलाई गई है। जिसमें सभी पदाधिकारीयों की उपस्थिती प्रार्थनीय है। बैठक मे विचारणीय मुद्दे निम्नवत हैः–

1. पिछली कार्यवाही की पुष्टि।
2. सोसाइटी/ट्रस्ट/फर्म के द्वारा संचालित पराचिकित्सीय संस्थान (कॉलेज का नाम व पता पिन कोड के साथ) को मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय के नियमों के अनुसार संचालित लाल बहादुर शास्त्री पराचिकित्सीय कौशल एवं प्रशिक्षण परिषद (भारत) या राज्य सरकार या भारत सरकार के मान्यता प्राप्त संस्थान से मान्यता/फ्रैंचाइजी लेने के लिए विचार।
3. सोसाइटी/ट्रस्ट/फर्म के नामकरण के आधार पर सोसाइटी/ट्रस्ट/फर्म का पंजीकरण कराने पर चर्चा।
4. सोसाइटी/ट्रस्ट/फर्म के पंजीकृत होने के बाद सोसाइटी/ट्रस्ट/फर्म के संचालन हेतु विभाजन तथा पराचिकित्सीय संस्थान (पैरामेडिकल कॉलेज) की मान्यता/फ्रैंचाइजी लेने के बाद कॉलेज के कार्यों के विभाजन व उत्तरदायित्व के विभाजन पर चर्चा।
5. कॉलेज को संचालित करने के लिए लाल बहादुर शास्त्री पराचिकित्सीय कौशल एवं प्रशिक्षण परिषद (भारत) या राज्य सरकार या भारत सरकार के मान्यता प्राप्त संस्थान से मान्यता/फ्रैंचाइजी लेने के लिए आवेदन पर विचार।
6. अन्य मुद्दे अध्यक्ष जी की अनुमति से।

पत्र जारी करने की दिनांक – / / भवदीय सचिव

सूचनार्थ प्रतिलिपि सोसाइटी/ट्रस्ट/फर्म का नाम व पता

निम्नांकित प्रस्ताव सिर्फ संस्थान के लेटर हैड पर ही अनुमन्य

बैठक कार्यवाही एवं पारित प्रस्ताव (नमूना)

आज दिनांकः–.....को प्रातः..... बजे सोसाइटी/ट्रस्ट/फर्म का नामके पंजीकृत कार्यालयमें प्रारम्भ हुईं। जिसकी अध्यक्षता ने की , तथा संचालन सोसाइटी/ट्रस्ट/फर्म के सचिव ने किया बैठक में उपाध्यक्ष व सदस्य व..... ने बैठक में हिस्सा लिया बैठक प्रातः/दोपहर/शाम बजे सम्पन्न हुई। बैठक में सर्वसम्मति से निम्ननांकित प्रस्ताव पारित किए गए–

पारित प्रस्ताव संख्या–1

क) पिछली कार्यवाही की पुष्टि

पारित प्रस्ताव संख्या–2

पदाधिकारी ने प्रस्ताव रखा कि सोसाइटी/ट्रस्ट/फर्म के द्वारा (कॉलेज का नाम)..... में जो स्थापित है उसे कौशल एवं व्यावसायिक कोर्स की मान्यता देने के लिए मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय के नियमों के अनुसार संचालित इंडियन व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा बॉर्ड (नई दिल्ली) से मान्यता/फ्रैंचाइजी लेने की कार्यवाही चालू शिक्षण सत्र 20.....– से ही अमल में लाई जावे। बैठक में उपस्थित सोसाइटी/ट्रस्ट/फर्म के सभी पदाधिकारीयों व सदस्यों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव का समर्थन किया। अनुमोदन पदाधिकारी ने किया सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करके सोसाइटी/ट्रस्ट/फर्म के संस्थापक अध्यक्ष तथा सचिव को मान्यता की समस्त वैधानिक औपचारिकतायें पूर्ण करके चालू शिक्षण सत्र से ही अनुमोदन/मान्यता अर्जित करने की कार्यवाही अमल में लाने के लिए अधिकृत किया गया।

ख) सोसाइटी/ट्रस्ट/फर्म के सचिव ने प्रस्ताव रखा कि इंडियन व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा बॉर्ड (नई दिल्ली) से किसी भी कोर्स के संचालन हेतु मान्यता/फ्रैंचाइजी लेने के लिए आवेदन करने से पूर्व सोसाइटी/ट्रस्ट/फर्म का पंजीकरण करा लिए जावे। चूंकि बिना पंजीकृत सोसाइटी/ट्रस्ट/फर्म के राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की किसी भी काउंसिल व किसी भी सरकारी संस्था अथवा स्वायत्तशासी संस्था अथवा भारत सरकार के मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय के अधिकृत विभाग से कोई भी मान्यता लेने के लिए सोसाइटी/ट्रस्ट/फर्म का पंजीकृत होना अनिवार्य शर्त है। बिना पंजीकृत संस्था के द्वारा कोई मान्यता नही ली जा सकती यदि इस तथ्य को छिपाकर कोई मान्यता प्राप्त करके कोई भी शैक्षिक संस्थान का संचालन किया जा रहा है तो ऐसे संस्थान की ओर से जारी किया गया डिग्री/डप्लोमा प्रमाण पत्र पूर्णतया अनाधिकृत व अवैध होगा। जिस पर पदाधिकारी ने प्रस्ताव रखा कि दो माह के भीतर सोसाइटी/ट्रस्ट/फर्म का पंजीकरण कराने के बाद ही मान्यता लेने के लिए आवेदन किया जावे तथा इस कार्यवाही को अमल में लाने के लिएव को सोसाइटी/ट्रस्ट/फर्म के संस्थापक के रूप में अधिकृत करके समस्त कार्यवाही व वैधानिक औपचारिकतायें पूर्ण करके सोसाइटी/ट्रस्ट/फर्म के पंजीकरण कराने व मान्यता लेने के लिए समस्त कार्यवाही अमल में लाने के लिए दोनों को अधिकृत किया जावे प्रस्ताव का समर्थन ने किया तथा ने अनुमोदन किया प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ तथा व ने समस्त कार्यवाही सोसाइटी/ट्रस्ट/फर्म के पंजीकरण व कॉलेज के कोर्स के संचालन हेतु किसी भी अधिकृत काउंसिल से

मान्यता की कार्यवाही अमल में लाने किए लिए अधिकृत किया गया। बैठक मे उपस्थित व ने कार्यवाही अमल में लाने के लिए अपनी सहमति प्रदान की।

पारित प्रस्ताव संख्या–3

क) सोसाइटी/ट्रस्ट/फर्म के सचिव ने प्रस्ताव रखा कि सोसाइटी/ट्रस्ट/फर्म के पंजीकरण के बाद सोसाइटी/ट्रस्ट/फर्म के द्वारा संचालित कॉलेज में कोर्स के संचालन हेतु वित्तीय व्यवस्था करने का उत्तरदायित्व पूर्णतया संस्था के संस्थापकव का होगा तथा सोसाइटी/ट्रस्ट/फर्म के चल व अचल संपत्ति में व कॉलेज की चल व अचल संपत्ति में जो निवेश होगा उसे संस्थापक अध्यक्ष व सचिव बराबर के अनुपात में वहन करेंगे तथा कॉलेज जो लाभ–हानि में भी बराबर के हिस्सेदार होंगे अन्य पदाधिकारी पर जो भी वित्तीय भार संस्थापक अध्यक्ष व संस्थापक सौपेगें उसी अनुपात मे अन्य ट्रस्टीगण सोसाइटी/ट्रस्ट/फर्म इन्स्टीट्यूट में वित्तीय सहयोग करेंगे तथा लाभ हानि में भी अन्य ट्रस्टीगण इसी अनुपात में हिस्सेदार रहेगें प्रस्ताव का समर्थन ने किया तथा अनुमोदन ने किया। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ।

पारित प्रस्ताव संख्या–4

सदस्य ने प्रस्ताव रखा कि सोसाइटी/ट्रस्ट/फर्म के संस्थापक अध्यक्ष व सचिव आधा–आधा हिस्सा वित्तीय स्त्रोत का स्वयं वहन करेगें तथा दोनों ही अपने हिस्से की रकम का प्रबन्ध अपने स्त्रोतो से तथा जिन पदाधिकारियों से धन का प्रबन्ध करायेगें सोसाइटी/ट्रस्ट/फर्म व जो पदाधिकारियों स्वयं अथवा अपनी जिम्मेदारी पर अपने रिश्तेदारों व परिचितों से धन निवेश करवाएँगे उसे लौटाने का उत्तरदायित्व भी उसी अनुपात में सोसाइटी/ट्रस्ट/फर्म के संस्थापक अध्यक्ष व सचिव पर रहेगा अन्य किसी भी सदस्यों के द्वारा निवेश की गई रकम को लौटाने का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। प्रस्ताव का समर्थन सदस्य ने किया तथा अनुमोदनने किया। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ।

पारित प्रस्ताव संख्या–5

सोसाइटी/ट्रस्ट/फर्म के संस्थापक अध्यक्षने प्रस्ताव रखा कि इंडियन व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा बॉर्ड (नई दिल्ली) सहित देश के अस्सी प्रतिशत राज्यों में कौशल एवं व्यावसायिक के कोर्स के संचालन हेतु पिछले एक वर्ष में अनेकों फ्रैचाइजी दी है उक्त बॉर्ड की विश्वसनीयता व प्रमाणिकता को उन्होनें जनपद मेरठ के विभिन्न क्षेत्रों में कौशल एवं व्यावसायिक में संचालित जो फ्रैचाइजी निर्गत की है उसकी जानकारी जुटाने के बाद ही इंडियन व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा बॉर्ड (नई दिल्ली) से फ्रैचाइजी लेने के लिये चालू शिक्षण सत्र मे ही आवेदन किया जावे। प्रस्ताव का समर्थन सोसाइटी/ट्रस्ट/फर्म के संस्थापक ने किया अनुमोदन सचिव ने किया तथा सर्व सम्मति से प्रस्ताव पारित करने हुये सोसाइटी/ट्रस्ट/फर्म के अध्यक्ष व सचिव को मान्यता लेने के लिये अधिकृत किया गया प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया गया।

पारित प्रस्ताव संख्या–6

अध्यक्ष ने प्रस्ताव रखा कि कोई भी पदाधिकारी यदि कोई अन्य बॉर्ड से विधिक मान्यता प्राप्त हो उसकी जानकारी रखता हो तो एक सप्ताह के अन्दर सोसाइटी/ट्रस्ट/फर्म के अध्यक्ष व सचिव को ऐसी काउंसिल / बॉर्ड को बारे में लिखित सूचना उपलब्ध करावे तथा मान्यता/फ्रैचाइजी लेने के लिये जिन औपचारिकताओं को पूर्ण करना है उसके दिशा निर्देश भी उपलब्ध करा दे ताकि इंडियन व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा बॉर्ड (नई दिल्ली) के अलावा अन्य किसी भी विधिक तथा राज्य और केन्द्र सरकार से

अधिकृत काउंसिल से कौशन एवं व्यावसायिक कोर्सज के अलावा अन्य कोर्स के संचालन हेतु मान्यता ली जा सके प्रस्ताव का समर्थन ने किया तथा अनुमोदन ने किया। प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित हुआ।

दिनांक / /

क्र0 सं0	**नाम**	**पद**	**मो0 नं0**	**हस्ताक्षर**